

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

॥ अ धि सू च ना ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-1/श्रम वि०स्था०(1)10-31/2023 श्रं०सं०...../वित्त विभाग के संकल्प सं०-7566 दिनांक-14.7.2010 द्वारा संसूचित रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-2010 के प्रावधानों के आलोक में श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ बिहार श्रम सेवा (सामान्य) संवर्ग के निम्नांकित पदाधिकारी को उनके नाम के समक्ष स्तंभ-4 में अंकित तिथि से वेतनस्तर-13 में तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (एम०ए०सी०पी०) की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं वेतनमान	योगदान की तिथि/संपुष्टि की तिथि	प्रथम एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति की तिथि एवं वेतनमान
1.	2.	3.	4.
1	श्रीमती अपर्णा, उप श्रमायुक्त, Level-12	09-02-1993 09-02-1995	<u>3rd MACP</u> <u>09-02-2023</u> Level-13

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी का वेतन नियतिकरण "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-2010" के परिशिष्ट-1 के नियम-4 के अनुसार किया जाएगा।

3. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त एम०ए०सी०पी० के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

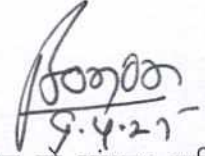
(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

(2)

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था०(1)10-31/2023 श्र०सं०.....06...../पटना-01, दिनांक-09/4/25

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/मा० मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/उप श्रमायुक्त, बेगूसराय/अधिसूचना में अंकित पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) के सभी पदाधिकारियों तथा आई०टी० प्रबंधक, (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव

आ. ए. ए. ए. ए.